



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 09.01.2025

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 233/2024 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विवेक शुक्ला पुत्र स्व0 नवीन शुक्ला निवासी ग्राम मसिका थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज उम्र करीब 25 वर्ष को आज दिनांक 09.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मसिका थाना औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण:-

विवेक शुक्ला पुत्र स्व0 नवीन शुक्ला उर्फ तुलसी शुक्ला
निवासी ग्राम मसिका थाना औ0क्षेत्र प्रयागराज उम्र करीब 25 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 233/2024 धारा 85/80(2) BNS व 3/4 DP ACT
थाना औद्योगिक क्षेत्र कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.30नि0 श्री मुन्ना सिंह कुशवाहा थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज ।
- 2.30नि0 श्री नितेश सिंह थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज ।
- 3.का0 श्यामजी थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज ।

थाना करछना पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद शस्त्र(तलवार/कटवासा) बरामद

थाना करछना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में नामित वांछित अभियुक्त सन्तोष तिवारी पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम भडेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर नहरकोठी चौराहे से आज दिनांक 09.01.2025 को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त सन्तोष तिवारी उपरोक्त को मा0 न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2024 को श्रीमती तपस्या देवी पत्नी राम सजीवन निवासिनी ग्राम भडेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा थाना हाजा आकर खुद के आरोपी सन्तोष तिवारी द्वारा तलवार से जान से मारने की नीयत से मेरे उपर हमला किया और बचाव में आये पति रामसजीवन, पुत्री वन्दना को गाली गलौज करते हुए मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं006/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष तिवारी को आज गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद शस्त्र(तलवार/कटवासा) बरामद किया गया जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सन्तोष तिवारी पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम भडेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज उम्र 30 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 06/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करछना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0 सुधीर कुमार थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 2.उ0नि0 भृगुनाथ सिंह थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज
- 3.उ0नि0 दीपक कुमार भाटी थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 4.कां0 इन्द्रजीत सिंह थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 5.कां0 उदय प्रताप थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।